



प्रेस नोट

दिनांक-18.10.2024

थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने वाले उपकरण व 90 लीटर कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण/बिक्री/संचालन करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना राठ पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.रामकुमार पुत्र साध्या उर्फ सहदेव 2. हरनारायण पुत्र लालाराम 3. हरविन्द उर्फ अरविन्द पुत्र अमर सिंह नि0गण ग्राम ददरी थाना राठ जनपद हमीरपुर को मय अवैध शराब बनाने के उपकरण व लगभग 90 लीटर कच्ची शराब के साथ ग्राम ददरी के आगे नदी के पास थाना राठ जनपद हमीरपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 453/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रामकुमार पुत्र साध्या उर्फ सहदेव (उम्र करीब 40 वर्ष)
2. हरनारायण पुत्र लालाराम (उम्र करीब 27 वर्ष)
3. हरविन्द उर्फ अरविन्द पुत्र अमर सिंह (उम्र करीब 35 वर्ष) निवासीगण ग्राम ददरी थाना राठ जनपद हमीरपुर ।

अभियुक्त हरविन्द उर्फ अरविन्द पुत्र अमर सिंह का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 398/18 धारा 147, 188, 323, 332, 341, 353, 504, 506 थाना राठ जनपद हमीरपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध शराब बनाने के उपकरण मय 06 प्लास्टिक के बड़े डब्बो में लगभग 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:-

1. प्र0नि0 उमेश कुमार सिंह थाना राठ
2. उ0नि0 शिवम दत्त
3. का0 जितेन्द्र यादव
4. का0 सोहन सिंह यादव
5. का0 भानू प्रताप

